रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052025-263221 CG-DL-E-19052025-263221

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] No. 279] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947 NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

सं. 49 /2025

सा.का.नि. 322(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- 1. सिक्षप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3283 GI/2025 (1)

2. आयकर नियम, 1962, परिशिष्ट-2 में प्ररूप आईटीआर-यू के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-यू (अद्यतन विवरणी के लिए आईटीआर) रखे जाएंगे, अर्थात् :—

भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी

卢			क्तवा क ।राए सु	संगत ।नधारण व	ष क अत	स अड़तालास महान के मातर आ	न का अधतन करन क
प्रक्र प″	आ.क.	व यू				के लिए निर्देश देखें)	
				(कृपया आय	कर निय	म, 1962 का नियम 12कग देखें)	
भाग क	साधारण	जानकारी - 139	(8 <u>क</u>)				
 (क 1) [†]		-11111111111111111111111111111111111111	(क 2) नाम	(क3 आधार र	संख्या (12	 २ अंक)	
	नेर्धारण व		(क 5) क्या इस	निर्धारण वर्ष के	लिए	(क 6)यदि हाँ ,	
[कृपय	ा निर्देश दे	खें]	-	ग इल की गई थी	?	क्या धारा १३९(१) के अधीन फा	इल किया गया है 🗖
			🗆 हाँ 🗆 नहीं			🗖 अन्य	
			<u> </u>		1		
(क7) ^३	यदि लाग	हो, तो फाइल प्र		(कृपया	मान मं	और फाइल करने की तारीख	
		रसीद संख्या औ	ਨ ਜਾੜ ਤਿਤਾਜੀ ਵਿ	ड्रॉपडाउन से आईटीआर	पाय.स. ५	जार काइल करन का ताराख	
फाइल	करने की	तारीख (दिन/मा	5/QU)	आइटाआर प्रकार चुनें)			
(本o)	न्त्रा भाग	शास १२०/०ळा		•	 एंडक गेंड	अधिकथित शर्तों के अनुसार अद्यतन	। विकासी फारल का रे
(५७ ०) के पात्र		4181 139(047)	ग पहल, दूत्तर, त	।तिर जार पाप प	१रतुक म	गावपगवत राता पर जनुसार जन्नता	। ।पपरणा पगइरा पगरन
□ हाँ [
(क9) व	कृपया अप	ानी आय को अह	प्रतन करने के लि	ए आईटीआर प्रर	रूप चुनें (आईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से	चुना जाना चाहिए और
ई-फाइ	लिंग उपय	गोगिता द्वारा उपव	तब्ध कराए गए वि	विरण के अनुसा		ना चाहिए - निर्देश देखें)	
` ,			करने के कारण:				
		पहले फाइल न					
		। सही सूचना नर्ह					
		गलत शीर्ष चुने हानि में कमी	ηŲ				
		हानि में कमी क्षियण में कमी					
			के अधीन प्रतिदे	य कर में कमी			
	व कर की			•			
	ा अन्य						
(क11)	क्या आप	सुसंगत निर्धारप	ा वर्ष के अंत से 1	12 महीने तक्□	सुसंगत नि	नेर्धारण वर्ष के अंत से 🗖 12 से 24	। महीनों के बीच की
				ईं □ सुसंगत निध	र्गिरण वर्ष व	की समाप्ति से 24 से 36 माह के र्ब	चि 🗆 सुसंगत निर्धारण
		ते 36 से 48 माह - अपन अमेरिक न					
	(क) क्या □ नहीं	आप अग्राषत ह	॥न या शष अवक्ष	१यण या प्रातदय	कर का व	म्म करने के लिए अद्यतन विवरणी	फाइल कर रह ह?
- •	-	कपया निर्धारण :	तर्ष निर्दिष करें ज	हां दम अरातन (तेत्रणी ते	o कारण अग्रेषित हानि या शेष अव	क्षयण या प्रतिदेय कर
प्रभावित	त हो रहा है	है। <i>(कपया डाप</i> उ	डाउन मेन्यू से चय	ाल इस अवसा । यन करें)	144(-11 4	אופיריז ווין וווען ווואריין יין יין	भागाना जाराष्ट्रा कर
🗖 क्या	उपरोक्त	(ख) में निर्धारण	वर्ष के लिए मूल/	पुनरीक्षित विवरप	गी फाइल	की गई है □ हाँ □ नहीं	
🗖 क्या	उपरोक्त	(ख) में निर्धारण	वर्ष के लिए अद्यत	तन विवरणी फाइ	ल की गई	ई है □ हाँ □ नहीं	
भागः	ন্ত্ৰ - কুল	अद्यतन आय उ	और देय कर की	अति संगणना			
1.	क			न अद्यतन विवरण	गी राशि वे	रु अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय	रूपए में रकम
		लौटाई जा रही	है				
		आय का शीर्ष (यदि हाँ, तो कृपय	ग अतिरिक्त आय	ग निर्दिष्ट व	करें)	
	क.	वेतन से आय					
	ख.	गृह संपत्ति से उ					
	ग.	व्यापार या वृत्ति	क से आय				

	ਬ.	पूंजीगत लाभ से आय									
	 ङ.	अन्य स्रोतों से आय									
	ਚ.	कुल अतिरिक्त आय (क+ख+ग+घ+ङ.)									
	 ख .	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय (व	केवल उन मामलों में ज	हां आयकर विवरणी	पहले						
	C.	फाइल किया गया है)		Q							
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल अद्यतन आ	य आयकर विवरणी 2	/3/5/6/7 या भाग ग							
		आ.क.वि – 1/4(यथा लागू) की कटौती और									
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर	•		आर-1						
		को संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यत									
		कर प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखें)									
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन वि									
		आ.क.वि1 के संदेय कर की संगणना या भ संगणना और कर प्रास्थिति के भाग ख-टीटी	ाग घ अद्यतन आ.क.वि	I.4 (यथा लागू) का क र नी जाए	र						
		(कृपया निर्देश देखें)	आइ क प्रातदाव स	લા બાલ)							
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि	(केवल लागु मामलों में)							
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा कि			रा देखें)						
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी कि	या गया कुल प्रतिदाय,	यदि कोई हो (इस रा	-						
		प्राप्त ब्याज धारा 244क के अधीन सम्मिलित	न होना चाहिए) (कृपया	निर्देश देखें)							
7.		पहले विवरणी के अनुसार धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए									
		शुल्क नियमित निर्धारण कर (लागू मामले में)									
8.		(कृपया उस संदेय कर ला उल्लेख करें जो क्रम सं. 5 में घोषित संदेय कर के अधिक है और									
		उपर है)									
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता									
		(i) [3+6ii-(5+8+4))] प्रतिदाय जारी की गई है									
		(ii) [3+6i-(5+8+4))] प्रतिदाय जारी नहीं किया गया है									
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता	[25% or 50 % या 60	% या 70% of (9-7)]						
11.		देय शुद्ध रकम (9 +10)									
12.		140ख के अधीन संदेय कर									
13.		देय कर (11 -12)									
14.		राय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)									
	क	धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर क	र के भुगतान का विव	रण							
			2-0-0		रकम(रु.)						
			जमा करने की तारीख वालान रकम की								
	9	(दिन/माह/वर्ष)) क्रम संख्या									
	140ख के अधीन कर	(1) (2)	(3)	(5)							
	क	i									
)ख	ii									
	14(iii									
			1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
		दिप्पण> भाग ख-अति के क्र. सं.11पर १		•	0.0						
	ख	अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निर्धारण									
		विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए धारा 140ख(2) के अधीन प्रतिदेय की अनुमति नहीं है)									

	स्व-मूल्यांकन/नियमित निर्धारण कर	क्र.सं.	-	बीएस	आर	र को	ड					तार्र वर्ष),		च			शि व ख्या		-	रक	म(रु	ī.)	
	के! के	(1)			(2) (3) ((4))			(5)							
	শূল	i																					
	p. p. 	ii																					
	म⁄स	iii																					
	अग्रिम/स्व ₋ नि	iv																					
	टिप्पण ▶ धारा 140ख(2) के अधीन उपरोक्त के लिए प्रतिदेय की अनुमति नहीं है																						
	15. धारा ८९के अधीन राहत जिसका दावा पहले विवरणी में नहीं किया गया है [उसके लिए धारा 140 रुपए																						
ર્ख (2)	ख (2) के अधीन राहत की अनुमति नहीं है]																						

सत्यापन

मैं,	पुत्र/पुत्री	् सत्यनिष्ठा से घोषणा					
जानकारी	सही और पूर्ण है और आयव	कर अधिनियम, 1961	के उपबंधों के अ	नुसार है। मैं आगे	। घोषणा करत	II हूं कि मैं हूं इस	विवरणी
को	्ई-फोइलिंग उपयोगि (ई-फोइलिंग उपयोगि	ाता में प्रदान करने के ि	लिए ड्रॉप डाउन) व	के रूप में अपनी १	भ्रमता में बना र	रहाँ हूं और मैं इस	विवरणी
को बनाने	 और इसे सत्यापित करने के						
तारीख:			हस्ता	क्षर:		'.	

[फा. सं. 370142/20/2025-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधायन

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड ३, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. ९६९(अ), तारीख २६ मार्च, १९६२ द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ३०३ (अ), तारीख ०९ मई, २०२५ द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

No. 49 /2025

- G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Income-tax (Nineteenth Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR U, the following Form ITR-U (ITR for updated return) shall be substituted, namely: —

					IND	IAN INC	OME	TAX	UPD	ATEI	RET	URN				
"FORM	ITR	-U	[F	[For persons to update income within forty-eight months from the end of the relevant assessment year]												
FO]						(Rofo	r instru	ıction	s for	aliaihi	litu)					
5										Ü	• /					
(Please see rule 12AC of the Income-ta									me-ta.	x Rule	es, 196	<i>(2)</i>				
PART A - GI	ENERAL I	NFOR	MATIO	ON - 139(8	3A)											
(A1) PAN				(A2)	(A3) A	adhaar I	Numbe	r (12 c	digits)						
ÌÍII				Name												
(A4) Assess	ment Year		(A:	5) whether	return		(A6) I	f yes,	•		•	•	•		•	
[Please see			pre	eviously fi	led for	this	What	hau fi	lad u	/a 🖂	20(1)					
			ass	essment y	ear?		wnet	ner II	ieu u/	's <u> </u>	39(1)	_011	iers			
				Yes	No											
(A7) If applicable, enter form filed, (Please Ack No. and date of filing																
Acknowledgement No. or Receipt No. select ITR Acknowledgement No.																
	and Date of filing original return type from															
(DD/MM/Y)	0 0			dro												
`				dow	vn)											
(A8) Are yo	u eligible f	or filing	g an u	pdated ret	urn as	per the c	onditio	ns la	id ou	t in fir	st, sec	ond,	third	and fo	ourth	
provisos to s	section 139	(8A)?														
☐ Yes ☐N	lo.															
(A9) Please		ITR fo	orm fo	r updating	vour i	ncome (I	TRs 1-	7 to b	e sele	ected f	from d	drop-c	lown	and f	illed	
as per the d					- •	•										
(A10) Dans	C	1 42														
(A10) Reaso □Return p				icome:												
☐Income n																
	Wrong heads of income chosen Reduction of carried forward loss															
Reduction of unabsorbed depreciation																
Reduction of tax credit u/s 115JB/115JC																
□Wrong ra	ate of tax															
□Others																

□up □be □be	to 12 tweer tweer tweer	you filing the updated return during the period months from the end of the relevant assessment year 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year 124 to 36 months from the end of the relevant assessment year 136 to 48 months from the end of the relevant assessment year	
		are you filing the updated return to reduce carried forward loss or unabsorbed delease I Yes I No	preciation or tax
		please specify the assessment years where carried forward loss or unabsorbed dep sing affected because of this updated return. (Please select from drop down menu)	reciation or tax
□ W	hethe	er original/revised return has been filed for the AY in (b) above 🗆 Yes 🗀 No	
$\square \mathbf{W}$	hethe	er updated return has been filed for the AY in (b) above — Yes — No	
PART	ГВ –	ATI COMPUTATION OF TOTAL UPDATED INCOME AND TAX PAYABLE	2
1.	A	Head of income under which additional income is being returned as per Updated Return	Amount in Rs.
		Head of income (If yes, please specify additional income)	
	a	Income from Salary	
	b	Income from House Property	
	c	Income from Business or Profession	
	d	Income from Capital gains	
	e	Income from other Sources	
	f.	Total additional income (a+b+c+d+e)	
	В.	Total income as per last valid return (only in cases where the Income Tax Return has previously been filed)	
2.		Total income	
		As per Part B-TI of ITR-2/3/5/6/7 or Part C- Deductions and Taxable Total Income of ITR-1/4 (as applicable)	
		(Please see instruction)	
3.		Amount payable, if any	
		(To be taken from the "Amount payable" of Part B-TTI of updated ITR-2/3/5/6/7 or Part D-Computation of Tax Payable of updated ITR-1 or Part D-Tax computations and Tax Status of updated ITR-4) (as applicable)	
		(Please see instruction)	
4.		Amount refundable, if any (To be taken from "Refund" of Part B-TTI of updated ITR-2/3/5/6/7 or Part D-Computation of Tax Payable of updated ITR-1 or Part D- Tax computations and	
		Tax Status of updated ITR-4) (as applicable)	
		(Please see instruction)	
5.		Amount payable on the basis of last valid return (only in applicable cases)	
6.		(i) Refund claimed as per last valid return, if any (Please see instruction)	
		(ii) Total Refund issued as per last valid return, if any (including interest u/s 244A received) (<i>Please see instruction</i>)	
7.		Fee for default in furnishing return of income u/s 234F	
8.		Regular Assessment Tax, if any (in applicable cases)	
		(Please mention the tax paid which is over and above the tax payable declared in sl.no.5)	
9.		Aggregate liability on additional income,	
		(i) in case refund has been issued [3 + 6ii- (5 + 8 +4)])	
		(ii) in case refund has not been issued [3 + 6i - (5+8+4)]	
10.		Additional income-tax liability on updated income [25% or 50% or 60% or 70% of (9-7)]	
11.		Net amount payable (9+10)	
12.		Tax paid u/s 140B	
13.		Tax due (11-12)	
15.	İ	+ m a wav (+ + + #)	

14.	TAX PAYMENTS (ONLY as per Updated Return)																												
A	Details of payments of tax on updated return u/s 140B																												
40B	Sl. No.			BS	R C	ode	!			Date of Deposit Serial Number of (DD/MM/YYYY) Challan												An	nou	ınt (Rs.)			
S 14	(1)				(2)								3)		,				(4)						((5)			
TAX PAID U/S 140B	i																												
AID	ii																												
K P.	iii																												
[AX	iv																												
	NOTE Enter the totals of tax paid u/s 140B at Sl. No.11 of Part B-ATI																												
В	TAX PAYMENTS																												
Details of payments of Advance Tax / Self-Assessment Tax / Regular Assessment Tax, cr has not been claimed in the earlier return (credit for the same is not to be allowed again 140B(2)) SI. BSR Code Date of Deposit (DD/MM/YYYY) Challan (1) (2) (3) (4) i iii iii iii iii iii iii iii iii iii																													
ASS	SI. BSR Code Date of Deposit Serial Number of Amount (Rs.) No. (DD/MM/YYYY) Challan																												
ILF IR	(1)				(2)							(3)						(4))					((5)			
S/SE	i																												
NGE SGE	ii																												
ZA.	iii																												
(A)	iv																												
7	No	OTE			Cre	dit 1	for a	bov	e is	not	to 1	be a	llov	ved	aga	in ui	nde	r se	ectio	n 1	40B(2)							
4 # D																													
15. Re	elief u. r secti					ot c	laim	ed i	n ea	rlier	ret	urn	[rel	ief f	or t	he sa	ame	e is i	not	to b	e all	ow	ed		F	₹s.			

VERIFICATION

I,	son/ daughter of	solemnly declare that to the best of my
with the provision capacity as	s of the Income-tax Act, 1961. I for (drop down to be provided)	turn is correct and complete and is in accordance arther declare that I am making this return in my ded in e-filing utility) and I am also competent to t account number. (Please see instruction).
Date:		Signature:".

[F. No. 370142/20/2025-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* number GSR 303(E), dated the 09th May, 2025.